IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास : 73 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. राजेश कुमार

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान

विद्या सबंल योजना

राजकीय कन्या महाविद्यालय, बबाई (खेतड़ी)

झुंझुनूं, राजस्थान

शोध सारांश :

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के तहत स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास को सुनिश्चित करना है। 73 वें संविधान संशोधन (1992) ने इस व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी और स्थानीय पंचायतों को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू किया। इस संशोधन के बाद, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त हुई, जिससे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनकी भूमिका अधिक प्रभावी हो गई। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, और सामाजिक कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। हालांकि, यह व्यवस्था चुनौतियों से भी गुजर रही है, जैसे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक समस्याएं, और भ्रष्टाचार, जिनका समाधान करने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द–स्थानीय विभाजन, पंचायती राज, संविधानिकीकरण, समिति, प्रावधान, आरक्षण, संशोधन।

प्रस्तावना :

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक महत्व है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और विकास के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करती रही है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकशक्ति को सशक्त करना, स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना है। 73 वां संविधान संशोधन (1992) भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका को सुनिश्चित किया। 73 वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के कार्य और संरचना को नई दिशा दी, जिससे स्थानीय स्वशासन की ताकत और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत संरचना का निर्माण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को न केवल अधिकारों और जिम्मेदारियों से लैस करता है, बल्कि ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। इस संशोधन ने महिला आरक्षण, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वित्तीय स्वायत्तता, और ग्रामसभा जैसी संस्थाओं को सशक्त किया, जिससे पंचायतों में समावेशी और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिला। 73 वें संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थाओं को न केवल प्रशासनिक अधिकार मिले, बल्कि ये ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण

योगदान देने के लिए सशक्त और सक्षम बनीं। पंचायती राज व्यवस्था का विकास और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, और कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है। इस शोध पत्र का उद्देश्य 73 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका को विश्लेषित करना और यह समझना है कि किस प्रकार यह संशोधन ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है।

पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे पुरानी और परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्था रही है। यह व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज के लोकतांत्रिक और स्व–शासन की एक ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा रही है, जहां गांवों की स्वशासन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें भारतीय समाज के विकास के विभिन्न युगों का अवलोकन करना होगा।

प्राचीन काल में पंचायती व्यवस्था

प्राचीन भारत में, विशेष रूप से वेदों और उपनिषदों के समय में, पंचायती व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तब ग्रामों का प्रशासन पंचों (गांव के प्रमुख व्यक्ति) के माध्यम से किया जाता था, जिन्हें सामूहिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार था। इन पंचों का चुनाव गांव के लोग करते थे और उनका कार्य प्रशासन, न्याय और सामाजिक मुद्दों पर फैसले लेना होता था। ग्राम सभा या पंचायत को स्वायत्तता थी और वे सामूहिक निर्णयों के आधार पर अपने गांवों की समस्याओं का समाधान करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पंचायती व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जहां पंचायतों का कार्य ग्रामों की देखरेख और न्यायिक मामलों को सुलझाना था।

मध्यकाल में पंचायती व्यवस्था

मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के शासन के दौरान भी पंचायती व्यवस्था कुछ हद तक अस्तित्व में रही। हालांकि, तब सामंती और मुस्लिम शासकों के प्रशासनिक नियंत्रण ने इसे प्रभावित किया। मुगलों के शासन में गांवों को 'ज़मींदारी' प्रणाली के तहत नियंत्रित किया गया था, लेकिन फिर भी पंचायतों का कार्य था गांव के मामलों को हल करना। मध्यकाल में पंचायतों का कार्य धीरे–धीरे स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था, और इस व्यवस्था ने ग्रामीणों के बीच सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को सुलझाने में मदद की थी।

स्वतंत्रता संग्राम और पंचायती राज

स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी ने पंचायती राज की अवधारणा को फिर से प्रकट किया। गांधीजी का मानना था कि भारतीय समाज को स्वराज (स्व–शासन) की आवश्यकता है, और इसके लिए ग्रामों को सशक्त बनाना आवश्यक था।गांधीजी ने पंचायतों को 'स्वराज' के एकमात्र स्रोत के रूप में देखा और उनका मानना था कि गांवों को आत्मनिर्भर और स्व–शासित बनाने से ही भारतीय समाज का वास्तविक विकास संभव होगा।

पंचायती राज व्यवस्था का विकास

भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एवं ग्रामीण विकास हेतु 2 अक्टूबर, 1952 को के. एम. मुंशी समिति की सिफारिशों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) प्रारम्भ किया। बलवंत राय मेहता समिति (1957) – भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा त्रि–स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की–

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
- खण्ड स्तर पर – पंचायत समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद्

इन्होंने पंचायत समिति पर विशेष बल दिया तथा समिति को पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने महिलाओं को एक–तिहाई स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12 जनवरी, 1958 को स्वीकार कर लिया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में (बगदरी गाँव) सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात् 11 अक्टूबर, 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य तथा आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, नाम, इनका कार्यकाल तथा निर्वाचन पद्धति विभिन्न राज्यों में अलग–अलग हैं।

अशोक मेहता समिति (1977) – दिसम्बर, 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इन्होंने पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्न सिफारिशें दीं –

- त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को बदलकर द्वि–स्तरीय प्रणाली बना देना चाहिए यानि जिला स्तर पर शजिला परिषद्श तथा इसके नीचे 'मंडल पंचायत' जो 15,000–20,000 जनसंख्या वाले ग्रामों के समूह से मिलकर बनी हो।
- राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेन्द्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिन्दु होना चाहिए।
- जिला परिषद् कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
- पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित हो।
- राज्य मंत्री परिषद् में पंचायती राज हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए जो पंचायती राज संस्थाओं से सम्बद्ध मामलों की देखभाल कर सके।

केन्द्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया। परन्तु तीन राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में अशोक मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई।

जी.वी.के. रान्द समिति (1985)–ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। जी.वी.के. राव समिति ने पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने सम्बन्धी निम्न सिफारिशें कीं जो इस प्रकार हैं–

- समिति ने जिला परिषद् को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विकास में महत्त्वपूर्ण निकाय माना तथा सिफारिश की कि नियोजन व विकास कार्यक्रमों के प्रबन्धन के लिए जिला परिषद् को मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में ब्लॉक विकास कार्यक्रम (ठण्क्ण्द्) आधार स्तम्भ होना चाहिए।
- इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद्, जिला स्तर पर जिला परिषद्, मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत तथा गाँव स्तर पर गाँव सभा के गठन की सिफारिश की।
- जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 'जिला विकास आयुक्त' के पद का सृजन किया जाना चाहिए।

एल. एम. सिंघवी समिति (1986) में राजीव गाँधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसमें निम्न सिफारिशें दीं–

- पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक तौर पर मान्यता, सुरक्षा व संरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाये।
- ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए गाँवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया।
- ग्राम पंचायतों को आर्थिक संसाधन अधिक उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय स्रोत होने चाहिए।

❖ पंचायतों में नियमित रूप से निर्वाचन होना चाहिए।

❖ पंचायतों को शासन का तीसरा स्तर घोषित करना चाहिए।

अन्ततः इसे राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल, 1993 को स्वीकृति प्रदान की गई और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियति 1992 के रूप में पारित हुआ। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रेल, 1993 को लागू हुआ।

13वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992)

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- इस अधिनियम द्वारा संविधान में नया खण्ड यानी भाग–ण 'पंचायत' नाम से जोड़ा गया। इसी के साथ भाग–ण में अनुच्छेद 243क से 243ण (कुल 16 अनुच्छेद) तक के प्रावधान भी सम्मिलित किये गए तथा एक नई अनुसूची, (11वीं अनुसूची) जोड़ी गई है जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय सौंपे गये जिन पर उसे कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। राज्यों के लिए यह अनिवार्य था कि अधिनियम लागू होने से अधिकतम 1 वर्ष के भीतर अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना होगा।
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया गया। साथ ही इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करें। 73वें संशोधन अधिनियम के बाद राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना बाध्यता हो गई।

इसके अतिरिक्त सामान्य स्थानों में से एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। संविधान के अनुच्छेद 243घ में कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उपबंधित करेगा। केन्द्र सरकार ने अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को 27 अगस्त, 2009 को मंजूरी दे दी थी किन्तु इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 243घ में संविधान संशोधन होना शेष है किन्तु अब तक 19 राज्य अपने यहाँ पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुके हैं।

ये 19 राज्य है–राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, तेलगांना और मध्यप्रदेश।

कार्यकाल (क्नतंजपवदद्ध (अनुच्छेद 243ङ)– पंचायती राज में सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव कराने आवश्यक होंगे। किसी संस्था का विघटन किए जाने की स्थिति में विघटन से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराने आवश्यक होंगे। यदि पंचायत कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह पूर्व विघटित की जाती है तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा और नव गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए न होकर 5 वर्ष होगा। कोई भी व्यक्ति दो पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा, यदि होता है तो उसे 14 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को उस संस्था के बारे में सूचित करना पड़ेगा जिसमें वह अपनी सेवा देना चाहता है।

राज्य वित्त आयोग (जंजम थ्पदंदबम ब्वउउपेपवद) (अनुच्छेद 243झ) – अनु. 243झ के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग. का गठन किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा

(क) ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों को दर्शाना जो पंचायतों को प्रदान की जा सकें।

(ख) राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान ।

(ग) पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उपाय बताना।

लेखा परीक्षण (।नकपज वि ।बबवनदजे वि च्दबींलंजे) (अनुच्छेद 243 ञ) – राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उवत पंचायतों के लेखों यानी खातों की देखभाल व परीक्षण के लिए उपबंध कर सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग (जंजम म्समबजपवद ब्वउउपेपवद) (अनुच्छेद 243ट) – प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक् से राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ट) का प्रावधान किया गया। इसके अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जायेगी तथा उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही राष्ट्रपति द्वारा संसद से पारित प्रस्ताव पास होने के बाद हटाया जा सकेगा। निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण इस राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

- भारतीय संविधान में पंचायती राज की संस्था को 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक मान्यता मिली। 1992 में पारित इस संशोधन ने ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के एक सशक्त रूप में स्थापित किया।
- यह संशोधन पंचायतों को संवैधानिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करता है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों की योजना बनाने, प्रशासनिक निर्णय लेने और संसाधनों के वितरण का अधिकार दिया गया।
- 73 वें संशोधन ने पंचायतों के गठन में पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया। साथ ही, यह पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

सुझाव

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों को सशक्त करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, और पंचायतों को और अधिक संसाधन प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

निष्कर्ष :

73 वां संविधान संशोधन, 1992, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और पंचायतों के कार्य और संरचना में संरचनात्मक बदलाव लाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और विकास की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सका। संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद) का गठन किया गया, जिसने पंचायतों को प्रशासन और विकास के कार्यों में अधिक स्वायत्तता और अधिकार प्रदान किए। यह व्यवस्था पंचायतों को अपने स्तर पर निर्णय लेने, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करने और संसाधनों का वितरण करने की स्वतंत्रता देती है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार, राज्य और केंद्र से अनुदान की व्यवस्था, और स्थानीय आय के स्रोतों को सृजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों (ब्द्ध, अनुसूचित जनजातियों ;ज) और अन्य पिछड़े वर्गों (ब्ब) के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने पंचायतों में समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया, जिससे समावेशिता और सामाजिक न्याय को बल मिला। इसके अलावा, ग्रामसभा के गठन ने ग्राम स्तर पर नागरिकों को प्रशासनिक फैसलों में भागीदारी देने का अवसर प्रदान किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार भारत में पंचायती राज, पृ. 61।
2. मैथ्यू, जार्ज; भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव, पृ. 98।
3. सिंह, कुलदीप, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, यथार्थ, संदर्भ एवं चुनौतियां, पृष्ठ 101।
4. महीपाल, पंचायती राज चुनौतियों एवं संभावनाएँ पृ. – 53।
5. सिंह, उमेश प्रमाद, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति में, पृष्ठ 74।
6. दत्त, डॉ महेश्वर; गांधी का पंचायती राज, पृष्ठ 42।
7. आर्य, विमला; पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, पृष्ठ 78।
8. बानेल, डॉ. वसंतीलाल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं 104।
9. भारत सरकार, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली,।
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. पंचायती राज संस्थाएँ और 73वां संशोधन : एक तुलनात्मक अध्ययन, ग्रामीण विकास पत्रिका, पृष्ठ 16–29।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, भारत में पंचायती राज और ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद।
13. योजना आयोग, भारत सरकार : नए पंचायती राज प्रणाली की ओर मुद्दे और चुनौतियाँ, भारत सरकार, नई दिल्ली।